ई–मेल/स्पीड पोस्ट से

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 137-38
भोपाल, दिनांक 27/02/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/639/2015

आवेदक :–
M/s S. Parmar,
Barkhedi, Village – Alampura,
Tehsil – Sehore
Distt. – Sehore - 466 001 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदक :–
M/s GEI Industrial Systems Ltd.,
26-A, Industrial Area,
Govindpura,
Bhopal – 462 023

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 27/1/.2020

आवेदक ने दिनांक 18.08.2015 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 6,87,922/– एवं इस राशि पर दिनांक 31.07.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 10,80,424/– कुल बकाया राशि रू. 17,68,346/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

1 अनावेदक द्वारा रेनावेशन एण्ड कन्सट्रक्शन कार्य हेतु आवेदक के साथ निम्नानुसार दो अनुबंध निष्पादित किये गये है :–

Work Order/ Contract No./Date	Item Description	Qty	PO - Basic value (Rs.)
EI/PTBG/7003Seh.../sub-Contract-004, Dt 21-04-2010	Civil Work for sub-Station, Erection, Dismentaling, Instalation and Renovation, Testing & Commissioning of Equipments and Loading/Unloading, Transportation of Matterials,	5 No.	2691907.00
EI/PTBG/7003Seh.../sub-Contract-028, Dt 28-09-2010	Civil Work for sub-Station, Erection, Dismentaling, Instalation and Renovation, Testing & Commissioning of Equipments and Loading/Unloading, Transportation of Matterials,	1No.	698021.00
	Total of the above:-		3389928.00

2. आवेदक द्वारा अनावेदक के वर्कआर्डर/कॉन्ट्रेक्ट क्रमांक EI/PTBG/7003Seh.../sub-Contract-004, Dt 21-04-2010 के अनुसार कार्य संपादित करते हुए, दिनांक 05.06.2010 से दिनांक 05.01.2013 तक 43 इन्वाईसेस की कुल राशि रू. 24,53,795/– एवं अनावेदक के वर्कआर्डर/कॉन्ट्रेक्ट क्रमांक EI/PTBG/7003 Seh.../sub-Contract-028, Dt 28-09-2010 के अनुसार कार्य संपादित करते हुए, दिनांक15.10.2010 से दिनांक 15.03.2012 तक 10 इन्वाईसेस की कुल राशि रू. 6,40,864/– इस प्रकार कुल राशि रू. 30,94,659/– भुगतान हेतु अनावेदक को प्रस्तुत की गई है। अनावेदक द्वारा प्रत्येक बिल राशि में से 10 प्रतिशत राशि काटकर सिक्यूरिटी डिपॉजिट हेतु जमा की गई है।

.....2

आवेदक के आवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा प्रत्येक बिल राशि में से सिक्यूरिटी डिपॉजिट की काटी गई 10 प्रतिशत राशि रू. 3,07,948/– एवं दोनो कान्ट्रेक्ट के देयको में से अनावेदक पर बकाया कुल राशि रू. 3,79,974/– इस प्रकार कुल राशि रू. 6,87,922/– का भुगतान नही किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा बकाया मूलधन राशि रू. 6,87,922/– एवं इस पर दिनांक 31.07.2015 तक की ब्याज राशि रू. 10,80,424/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1376–77, दिनांक 30.09.2015 से अनावेदक को प्रेषित कर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सुलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर/प्रति उत्तर आदि के मुख्य बिन्दु :–

अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2019 अन्तर्गत निम्नानुसार लेख किया गया है।:–

We would like to inform your goodself that our company M/s GEI INDUSTRIAL SYSTEMS LIMITED is under National Company Law Tribunal (NCLT), Before the Adjudication Authority, Ahmedabad since July 2017, copy enclosed. Please see Sl. No. 15(c) (i) to (iv) of the order for moratorium.

So we are not in a position to make presence/commit anything about the above said notice. We are attaching herewith the order of the extension dates which we have received from the court for your ready reference. Now the case has been fixed for 26.06.2019.

Therefore, in the name of justice, you may please grant extension till the case at NCLT is adjudicated.

अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 11.19.2019 अन्तर्गत निम्नानुसार लेख किया गया है।:–

In this respect we wish to inform you that our company is under going Resolution Process with Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench. We are enclosing herewith the order of Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad, Bench for your ready reference.

Section 14 of the code clearly indicatethat all proceedings in any court of law is stayed till completion of the CIRP period.

The Next Hearing of the company is on 20.09.2019. In view of the above we request you to please keep the case in abeyance till the case is adjudicated by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench.

प्रकरण सुनवाई दिनांक 27.04.2016, 03.11.2016, 25.01.2017, 19.04.2017, 21.02.2018, 30.05.2019, 11.09.2019 एवं 08.12.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई –मेल जारी किये गये।

सुनवाई दिनांक 11.09.2019 को काउन्सिल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

The matter was listed for conciliation between the parties. In the pursuance of the stay order dated 26-07-17 passed in favour of the Respondent by the Hon'ble NCLT under the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 the council hereby stays the proceedings until vacation of stay order.

सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को काउन्सिल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

आवेदक मेसर्स एस. परमार, सीहोर की ओर से श्री संतोष परमार वं उनके अधिवक्ता प्रत्यक्ष उपस्थित एवं अनावेदक मेसर्स जी.ई.आई. इण्डस्ट्रियल सिस्टम्स लि0, भोपाल की ओर से श्री समीर खान प्रत्यक्ष उपस्थित। बैठक में उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक मेसर्स एस. परमार, सीहोर द्वारा अवगत कराया गया कि, उनके द्वारा अनावेदक मेसर्स जी. ई.आई. इण्डस्ट्रियल सिस्टम्स लि0, भोपाल को सर्विस प्रोवाइड की गई थी।

अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि, प्रकरण एन.सी.एल.टी. के समक्ष विचाराधीन है। अतः काउंसिल अभी कोई निर्णय पारित न करे ।

काउंसिल द्वारा निर्णय लिया गया कि, वसूली की कार्यवाही स्थगित है परन्तु आदेश जारी होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

.....3

काउन्सिल द्वारा प्रकरण में गुण–दोषों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु सुरक्षित किया।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदक से कराये गये रेनोवेशन एण्ड कन्सट्रक्शन कार्य के विरूद्ध आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन राशि रू. 6,87,922/– एवं इस पर दिनांक 31.07.2015 तक की ब्याज राशि रू. 10,80,424/– के संबंध में अनावेदक द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है, जिससे आवेदक का दावा अनावेदक द्वारा स्वीकार्य है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावे की पुष्टि होती है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक M/s GEI Industrial Systems Ltd., 26-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal – 462 023 द्वारा, बकाया मूलधन राशि रू. 6,87,922/– (रूपये छ लाख सत्यासी हजार नौ सौ बाईस मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 31.07.2015 तक की ब्याज राशि रू. 10,80,424/– (रूपये दस लाख अस्सी हजार चार सौ चौबीस मात्र) कुल राशि रू. 17,68,346/– (रूपये सत्रह लाख अड़सठ हजार तीन सौ छियालिस मात्र) तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक M/s S. Parmar, Barkhedi, Village – Alampura, Tehsil – Sehore Distt.–Sehore-466 001 (M.P.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक निदेशक,
एमएसएमई विकास संस्थान,भोपाल।